



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 18.11.2023

- महिला सम्बन्धी अपराध के मामलों में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी।
- नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में थाना रनियां पर पंजीकृत अभियोग में थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 नफर नामजद वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के करने के सम्बन्ध में पीडिता के पिता/वादी श्री शम्भू सिंह पुत्र श्री मातादीन निवासी ग्राम रहीमपुर थाना रनियां जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 27.10.2023 को थाना रनियां पर मु0अ0सं0 186/2023 धारा 376(2)(n)/354/323/504/506 भा0द0वि0 व धारा 5(1)/6 पाँक्सो एक्ट बनाम 02 नफर अभियुक्तगण 1.जयप्रकाश पुत्र मलखान सिंह उम्र करीब 56 वर्ष 2.कुलदीप कुमार पुत्र जयप्रकाश निवासी गण ग्राम करौसा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त जयप्रकाश उपरोक्त को थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 18.11.2023 समय 12.10 बजे मुखबिर खास की सूचना पर रोडबेज बस स्टैन्ड माती जनपद कानपुर देहात के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

जयप्रकाश पुत्र श्री मलखान सिंह उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम करौसा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 186/2023 धारा 376(2)(n)/354/323/504/506 भा0द0वि0 व धारा 5(1)/6 पाँक्सो एक्ट थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री महेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष रनियां जनपद कानपुर देहात।
- 2-का0 474 धीरेन्द्र कुमार थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।